रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102020-222576
CG-DL-E-20102020-222576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3253] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
No. 3253] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2020

का. आ. 3668 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम,1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि.301(अ) तारीख 27 फरवरी 1971, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में 1 मार्च 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, मद (xix)(ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात :-

"(xix)(ग) डा. एस. के. मल्होत्रा, कृषि आयुक्त, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"

[फा. सं. 13029/02/2019-पीपी-1]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खडं-3, उपखंड (i) में सा.का. नि. 301(अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का. आ. 2127(अ), तारीख 17 जून 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2020

S.O. 3668 (E).— In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-Section (i) on 1st March, 1971, namely:-

In the said notification, for item (xix) (c) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"(xix) (c) Dr. S.K. Malhotra, Agriculture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, New Delhi .	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

[F. No. 13029/02/2019-PP-I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) ,*vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and last amended vide number S.O. 2127 (E), dated the 17th June, 2020.

IndiaCode

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर 2020

का. आ. 3669 (अ).— केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम,1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना का. आ. 79 (अ) तारीख 03 फरवरी 1997 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में 4 फरवरी 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात :-

"1. डा. एस. के. मल्होत्रा, कृषि आयुक्त,
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग,
नई दिल्ली। अध्यक्ष"

[फा. सं. 13029/02/2019-पीपी-1]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (ii) में का. आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का. आ. 2128(अ), तारीख 17 जून 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2020

S. O. 3669 (E). —In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-Section (ii) on 4th February, 1997, namely:-

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"1. Dr. S.K. Malhotra, Agriculture Commissioner,

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare,

New Delhi. Chairman".

[F. No. 13029/02/2019-PP-I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and last amended vide number S.O. 2128 (E), dated the 17th June, 2020

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.10.20 13:48:23 +05'30'